

न्यायालय उप तहसीलदार हरसाणी, जिला बाड़मेर

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हल्का बंधड़ा

बनाम

विप्रार्थी
श्री जलाल
पुत्र अदरीम
नि. बिकूसी त. गडरारोड़

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 334/2025

—:निर्णय:—


पत्रावली आज बमुकाम हरसाणी में पेश हुई। विप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित। पटवारी हल्का बंधड़ा उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बंधड़ा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विप्रार्थी ने ग्राम बिकूसी के खसरा नम्बर 214 किस्म गै.मु. धोरा में 1.6187 है. पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का बंधड़ा की रिपोर्ट के अनुसार विप्रार्थी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया।

अतः विप्रार्थी को भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 91 के तहत राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। उक्त अतिक्रमित राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही विप्रार्थी पर राशि 50/- अक्षरे पचास रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसूल किया जावे।

निरीक्षक (भू.अ.) गिराब को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त अतिक्रमित राजकीय भूमि पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर फसल निलाम कर निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु 15 दिवस में पेश करे।

पटवारी हल्का बंधड़ा को आदेशित किया जाता है कि गैरसायल को उक्त राजकीय भूमि में से भौतिक रूप से बेदखल कर राजकीय भूमि को कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पालना पेश करें। मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को खुले न्यायालय में सूनाया गया।


उपतहसीलदार
हरसाणी